राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2443/2011/भीलवाड़ा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ओंकार लाल माली, भीलवाड़ा.. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थीगण की ओर से.
श्री एम. पी. शर्मा,
अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/07/2017

निर्णय

अपीलार्थी विभाग यह उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 168/वैट/10–11 में पारित आदेश के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधिं के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत पारित किये गये आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान किये गये संविदा कार्यों के लिये वाणिज्यिक कर विभाग से ई.सी. (मुक्ति प्रमाण–पत्र) प्राप्त किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने आलौच्य अवधि के कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कुल सकल प्राप्तियों पर 1.5 प्रतिशत की दर से ई. सी. शुल्क का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा क्लेम किये गये आई.टी.सी. को अस्वीकार किया गया तथा बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 2000/– का आरोपण किया गया। साथ ही संविदा कार्यों के निष्पादन हेतु क्रय किये गये माल यथा आयरन, स्टील व सीमेंट की खरीद में लाभांश व खर्चे जोड़ते हुए 4/12.5 प्रतिशत की दर से वैट का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीले प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि उनकी सकल प्राप्तियों में से मजदूरी राशि कम करते

हुए ई.सी. शुल्क का निर्धारण किया जाना चाहिये, साथ ही ठेकेदार से क्रय की गई बजरी/स्टोन पर वैट–39 के जरिये चुकाये गये वैट का समायोजन दिया जावे। यह भी निवेदन किया गया कि नोटिस के अभाव में वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति व किये गये अतिरिक्त करारोपण को अपास्त किया जावे। अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए धारा 58 व किये गये करारोपण के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया तथा मजदूरी राशि को कम किये जाने के बिन्दु पर अपीलें अस्वीकार की गईं। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक बताया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील संख्या 168/वैट/10–11 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2011 के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपील संख्या 1978/11 व विभाग की ओर से अपली संख्या 2443/11 प्रस्तुत की गई थी। प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील संख्या 1978/11 का कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा दिनांक 10.08.2015 को निस्तारण किया जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है। कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील में उठाये गये बिन्दुओं पर एकलपीठ द्वारा दिनांक 10.08.2015 को निर्णय पारित किया जा चुका है, इसलिए विभागीय अपील पर पुनः उन्हीं बिन्दुओं पर निष्कर्ष दिया जाना उचित नहीं होगा। हस्तगत प्रकरण कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 10.08.2015 से कवर्ड होंने से विभागीय अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य